संख्या-6/2016/478/71-आयुष-2-2016-18/2016

प्रेषक,

श्याम प्रकाश नारायण,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष् अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 11 मार्च, 2016

विषय- राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष् 2015-16 में आयुष् मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी लखनऊ के पत्र संख्या-37/मि0नि0/उ0प्र0, दिनांक 29-2-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-33 के अन्तर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए प्राविधानित कुल धनराशि रू0 33,33,00,000/-(रूपया तैतीस करोड़ तैतीस लाख मात्र) के सापेक्ष् वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-225/दस-2015-231 /2015 दिनांक 30-3-2015 के प्रस्तर-2 (10) के प्राविधानों के अनुसार प्रथम किस्त के रूप में रू0 16,50,00,000/'-(रू0 सोलह करोड पचास लाख मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-2016/240/71-आयुष-1-16-08/2015 दिनांक 06-2-2016 द्वारा प्रदान की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-33 के अन्तर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए प्राविधानित कुल धनराशि रू0 33,33,00,000/-(रूपया तैतीस करोड तैतीस लाख मात्र) मे से अवशेष धनराशि के सापेक्ष् वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231 /2015 दिनांक 30-3-2015 के प्रस्तर-2 (10) के प्राविधानों के अनुसार द्वतीय किस्त के रूप में रू0 16,50,00,000/'-(रू0 सोलह करोड पचास लाख मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है-:

1- संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 20-1-2016 को राष्ट्रीय आयुष मिशन के कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की गयी थी। उक्त बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 03-2-2016 के प्रस्तर-9 में यह उल्लिखित है कि संयुक्त सचिव एवं निदेशक, आयुष् भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि आयुष् विभाग, भारत सरकार द्वारा सितम्बर माह में निर्गत किये गये बजट पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख है कि यह बजट 75:25 के अनुपात में निर्गत किया जा रहा है एवं तद्नुसार ही इसे व्यय किया जाय। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 2015 में धनराशि स्वीकृत की गयी थी। अतएव उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार स्वीकृत धनराशि 75 के :25 रा0 के अनुपात में व्यय की जायेगी।
2- स्वीकृत धनराशि आयुष् मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजनाओं पर ही व्यय की जायेगी। किन्हीं अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्यावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय आयुष् मिशन के दिशा-निर्देश तथा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

4- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृस्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

5- प्रस्तावित कार्यो को समय से कराये जाने का पूर्ण दायित्व राज्य आयुष सोसाइटी, उत्तर प्रदेश का होगा।

6- वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30-3-2015 के प्रस्तर-8 के अनुसार धनरशि के आहरण की कार्यवाही की जाय।

7- स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण केन्द्र सरकार व राज्य सरकार को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा तथा यथास्थिति अवशेष धनराशि के समायोजन का उत्तरदायित्व राज्य आयुष सोसाइटी, उत्तर प्रदेश का होगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष् 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-33 के लेखा शीर्षक 2210-80-800-01-01 राष्ट्रीय आयुष मिशन (के0-75/रा0-25-के0+रा0)-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-3-395/दस-2016, दिनांक 11 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(श्याम प्रकाश नारायण)
अनु सचिव।

संख्या-6/2016/478(1)/71-आयुष-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- संयुक्त सचिव/निदेशक, आयुर्वेद, योगा एवं नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी मंत्रालय, आयुष भवन, बी ब्लाक, जीपीओ काम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली।
3- मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ
5- कोषाधिकारी, लखनऊ
6- वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त अधिकारी, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त् (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-3/वित्त् संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/ नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं आयुष अनुभाग-1
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम प्रकाश नारायण)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in